**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 28**

**30.11.2015 को उत्तर के लिए**

**बाघों का संरक्षण**

**28. श्री लाल सिंह वडोदिया :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या यह सच है कि देश के विभिन्‍न भागों में पेड़ों की अवैध कटाई और खनन ने बाघों को आरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलने पर विवश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्‍या सरकार बाघों की सुरक्षा करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;और

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यह कब तक किया जाएगा तथा यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण है ?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) बाघ रेंज राज्‍यों में से किसी भी राज्‍य से ऐसी रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा बाघों और अन्‍य पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कई महत्‍वपूर्ण पहलें की गई हैं और जो अनुबंध-।। में संलग्‍न की गई है ।

**बाघों का संरक्षण के संबंध में दिनांक 30.11.2015 को उत्‍तर के लिए श्री लाल सिंह वडोदिया पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्र.सं. 28 के भाग (ख) और (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध**

**बाघों और अन्‍य पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए भारत द्वारा राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्‍यम से की गई कुछ मुख्‍य पहलें ।**

**वैधानिक उपाय**

1. वर्ष 2006 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में, धारा 38IV बी के अंतर्गत राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और धारा 38 IVसी के अंतर्गत बाघ एवं अन्‍य संकटापन्‍न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो के गठन के लिए समर्थकारी प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया ।

2. बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा बाघ रिजर्व में शिकार संबंधी अपराध या बाघ रिजर्वकी सीमा में परिवर्तन संबंधी अपराध के मामले में दण्ड को बढ़ाना ।

3. बाघ परियोजना के लिए और बाघ रिजर्वों में पर्यटन हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 380 1 (ग) के अंतर्गत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए ।

**प्रशासनिक उपाय**

4 बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4 सितंबर, 2006 से गठित किया गया है, जिसके द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, बाघ रिज़र्व प्रबंधन के मानदण्डों का निर्धारण, रिज़र्व विशिष्ट बाघ संरक्षण योजना बनाना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना सुनिश्चित की गई है ।

5 वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 6 जून, 2007 से बहुविध बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है ।

6 संचार/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगोंको मिलाकर गठित कार्यबल की तैनाती के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डोंकोशामिल करके गठित अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती हेतु बाघ रिज़र्व राज्यों के प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून गश्त के लिए बनाई जाने वाली विशेष कार्यनीति सहित अवैध शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण ।

7 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तीन बाघ रिजर्वों के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये स्थल हैं: रातापानी (मध्य प्रदेश) और सुनाबेदा (उड़ीसा) और ओरंग राष्‍ट्रीय उद्यान (असम) और गुरू घासीदास (छत्‍तीसगढ़)। राज्‍य द्वारा कुदरेमुख (कर्नाटक) को बाघ रिजर्व के रुप में घोषित करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है । राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है : (i) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (ii) महादेई अभयारण्य (गोवा) (iii) श्रीविलीपुथुर ग्रिज्लड जाईन्ट स्क्विरल/मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य/वरुशानाडु घाटी (तमिलनाडु)(iv) दिबंग वन्‍यजीव अभयारण्‍य (अरूणाचल प्रदेश) और (v) कावेरी-एमएम हिल्‍स (कर्नाटक)।

8 राजाजी राष्ट्र्रीय उद्यान (उत्तराखंड) को 48वां बाघ रिजर्व घोषित/अधिसूचित किया गया है । इसके अतिरिक्त, हाल ही में अधिसूचित बाघ रिजर्वों में शामिल हैं :राज्‍य सरकारों ने कवल (तेलंगाना), सत्‍यमंगलम (तमिलनाडु), मुकंद्रा हिल्‍स (राजस्‍थान), नवेगांव-नागजीरा (महाराष्‍ट्र), अमराबाद (पूर्व समय में नागार्जुनासागर सिरीसैलम टाइगर रिजर्व का एक भाग) (तेलंगाना), पीलीभीत (उत्‍तर प्रदेश), बोर (महाराष्‍ट्र)।

9 बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्स्थापना/पुनर्वास पैकेज को बढ़ाने के लिए राज्यों को बढ़ी हुई वित्तीयसहायता (1 लाख रू. प्रति परिवार से 10 लाख रू. प्रति परिवार) देना, परंपरागत शिकार में लगे समुदायों का पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना, बाघ रिजर्वों के बाहर के वनों में आजीविका और वन्य जीव सरोकारों को मुख्य धारा में लाना तथा पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए बहाली कार्यनीति के जरिए कॉरीडोर संरक्षा को बढ़ावा देना शामिल हैं ।

10 ब़ाघों (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्थिति का मूल्यांकन करने सहित) के आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली बनाकर उसे मुख्य धारा में लाया गया है । इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए निर्देशचिन्ह हैं ।

11 वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38v के अंतर्गत, 18 बाघ राज्यों द्वारा देश में सभी 48 बाघ रिजर्वों के कोर/संवेदनशील बाघ पर्यावास (39709.84वर्ग किलोमीटर) और बफर/परिधीय क्षेत्र (30161.80वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित किए गए हैं ।

12 एक-एक वन महानिरीक्षक के अधीन नागपुर, बंगलौर और गुवाहाटी में राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं ।

**वित्तीय उपाय**

13 वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता और अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना और वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ।

**अंतरराष्ट्रीय सहयोग**

14 भारत का चीन के साथ बाघ संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल होने के अलावा वन्य जीव और संरक्षण में सीमा पारीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल के साथ भी एक समझौता ज्ञापन विद्यमानहै ।

15 सुंदरवन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश के साथ सितंबर, 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

16 रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघ और तेदुआ संरक्षण संबंधी एक उप-दल का गठन किया गया है।

17 भारत बाघ संरक्षण से संबंधित अंतराष्ट्रीय मुद्दों के निराकरण हेतु बाघ रेंज देशों के वैश्विक बाघ फोरम का संस्थापक सदस्य है ।

18 साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 के दौरान आयोजित हुई थी, में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी परिसंघ के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसमें केवल जंगली बाघों के संरक्षण के लिए ऐसी बंधक संख्या को समर्थन स्तर तक सीमित करने के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों की प्रजनन प्रक्रिया के संबंध में पक्षकारों को दिशा-निर्देश दिए हैं । इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया गया था । इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बाघों के अंगों और उनके व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर लगी रोक को जारी रखे जाने के महत्व पर बल दिया गया।

19 दिनांक 23 से 27 जुलाई, 2012 के दौरान जेनेवा में आयोजित वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) की स्थाई समिति की 62वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर सीआईटीईएस सचिवालय ने पक्षकारों को 14.69 निर्णय के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 3 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 2012/054 जारी की है और 25 सितंबर, 2012 तक सचिवालय को रिपोर्ट (बाघों आदि के केप्टिव ब्रीडिंग आप्रेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति) प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं ।

**अन्य विविध उपाय**

20 विशेष बाघ संरक्षण बल (एसटीटीएफ) का गठन: बाघ परियोजना की जारी केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम के अंतर्गत 13 प्रारंभिक रूप से चयनित बाघ रिजर्वों में100 प्रतिशत केन्‍द्रीय सहायता से कर्नाटक (बांदीपुर), महाराष्‍ट्र (पेंच और तदोबा-अंधारी) और उड़ीसा (सिमिलीपाल)राज्‍योंमें विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) कार्यरत किए गए हैं। नवेगांव-नागजीरा, मेलघाट (महाराष्‍ट्र), कावल और अमराबाद (पूर्व समय में नागार्जुनसागर सिलीसेलम टाइगर रिजर्व का भाग) बाघ रिजर्व (तेलंगाना) में उक्‍त बल के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

21 ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से ऑनलाइन टाइगर क्राइम डाटाबेस शुरू किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं ।

22 बाघ क्षेत्र वाले राज्यों के साथ बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निधि प्रवाहों से जुड़े त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) का कार्यान्वयन किया गया ।

23प्रभावी क्षेत्रीय गश्त और मॉनीटरिंग हेतु 'मानीटरिंग सिस्टम फार टाइगर्स' इन्टेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलोजिकल स्टेट्स (M-STrIPES)शुरू करने के अलावा, अवसरंचना के आधुनिकीकरण और क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं ।

24. अखिल भारतीय बाघ आकलन में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की बिना लागत की भागीदारी के लिए कदम उठाए गए ।

25 प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता बढ़ाकर फील्ड डिलीवरी में सुधार के लिए पहल की गई ।

26 सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं; के पुननिर्माण के सक्रिय प्रबंधन के भाग के रुप में उनमें नए बाघों/बाघिनों को लाने का कार्य किया गया है । सरिस्का में वन्य बाघों को सफलतापूर्वक लाया जाना एक अद्वितीय और विश्व में अपने प्रकार का पहला कार्य है । लाई गई बाघिनें प्रजनन कर रही हैं। पन्ना (म.प्र.) में भी बाघ लाए जाने का प्रयास बहुत सफल रहा है ।

27. बाघों और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघरिजर्वों में सक्रिय प्रबंधन के द्वारा शिकार आधार और बाघों की संख्या की स्व-स्थाने वृद्धि के लिए विशेष निर्देशिकाएं जारी की गई हैं ।

28 **अखिल भारतीय बाघ, सहभक्षी और शिकार आकलन, 2014 :-**राष्ट्र स्‍तरीय बाघ स्थिति आकलन का तीसरा चरण वर्ष 2014 में पूरा हुआ जिसके अनुसार 2010 के पिछलेराष्ट्रस्‍तरीय अनुमान के अनुसार इनकी संख्‍या अनुमानत: 1706 (निम्‍नतर और उच्‍चतर सीमाएं क्रमश: 1520-1909), और वर्ष 2006 के अनुमान के अनुसार इनकी संख्‍या अनुमानत: 1411 (बाघों की निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमश: 1165 और 1657) थी जिसकी तुलना में वर्ष 2014 में इनकी संख्‍या क्रमश: 1945 की निम्‍नतर और 2491 की उच्‍चतर सीमा के साथ 2226 होने का अनुमान है । यह संख्या वृद्धि का रूझान दर्शाती है। इस समय, बाघ परियोजना (18 राज्यों के 48 बाघ रिजर्वों में फैले देश के भौगोलिक क्षेत्र के 2.12% में) के माध्‍यम से प्रजातियों के संरक्षण का अपना लंबा इतिहास होने के कारण, विश्‍व के 13 बाघ क्षेत्र वाले देशों में से बाघों की संख्‍या और उनके स्रोत क्षेत्रों का 70% भारत के पास है।

29 **प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एमईई)**: जनवरी 2015 में बाघ रिजर्वों के प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एमईई) संबंधी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 43 बाघ रिजर्वों के लिए 2013-14 में संशोधित किए गए मानदंड पर आधारित स्वतंत्र मूल्यांकन का तृतीय चरण शामिल था । 43 बाघ रिजर्वों में से 17 को बहुत अच्छा, 16 को अच्छा, 10 को साधारण रेटिंग दी गई थी ।

30 समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ संघर्ष को कम करने के लिए विशेष सहायता उपलब्धकराना ।

**मानक प्रचालन क्रिया विधि(एसओपी)**

31 बाघपरियोजना/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की परामर्शिकाओं के आधार पर बाघों की मौतों से संबंधितमानक प्रचालन क्रियाविधिजारी की गई है जिसमें वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्य के अधिकारियों और विशेषज्ञोंसे प्राप्त वर्तमान चुनौतियों से निपटने में अनुकूल सूचनाएं दी गई हैं ।

32 मानव-बस्तियों में आवारा बाघों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन क्रिया विधि' जारी की गई हैं।

33 बाघ/तेंदुए के शवों/शरीर के अंगों के निपटान हेतु, मानक प्रचालन क्रियाविधि जारी की गई है ।

34 जंगल में अनाथ/परित्यक्त बाघ शावकों और बूढ़े/जख्मी बाघों के कल्याण हेतु मानक प्रचालन क्रिया विधि जारी की गई है ।

35 पशुधन पर बाघ हमलों से निपटने के लिए एक 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है ।

36 लैंडस्‍केप स्‍तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के सक्रिय प्रबंधन हेतु एक मानक प्रचालन क्रिया विधि जारी की गई है।

37 चरण-IV बाघ रिजर्व स्तर शुरू करना, कैमरा ट्रैप्स का प्रयोग कर बाघों की निरंतर माँनीटरिंग करना और अलग-अलग बाघों के फोटों कैप्चर संबंधी आंकड़े तैयार करना ।

38 अलग-अलग बाघ की कैमरा ट्रैप फोटो आईडी की राष्ट्रीय रिपोजिटरी बनाना ।

39 मुख्य क्षेत्रों से ग्राम पुनर्वास हेतु-काम्पा निधियों के प्रयोगको सैद्धांतिक अनुमोदन ।

40 सक्रिय प्रबंधन के अंतर्गत जंगली/आवारा बाघों/बाघिनों को राज्यों में उच्च घनत्व वाले रिजर्वों से निम्न घनत्व वाले रिजर्वों मेंस्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है ।

41 आवारा बाघों से निपटने के लिए क्षेत्र अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ।

ताज़ा उपाय

42 कार्बेट बाघ रिजर्व (उत्तराखंड) में ई-निगरानी परियोजना की पूर्णता । काजीरंगा टाइगर रिजर्व (असम) में और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य(म.प्र.) के आस-पास 24x7 ई-निगरानी हेतु 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है ।

43 भारतीय वन प्रबंधन संस्‍थान के सहयोग से 6 बाघ आरक्षित क्षेत्रों का आर्थिक मूल्‍यांकन।

44 भारतीय वन्‍यजीव संस्‍थान के सहयोग से पन्‍ना बाघ रिजर्व (मध्‍य प्रदेश) में मानव-रहित हवाई वाहन द्वारा निगरानी का प्रायोगिक परीक्षण किया गया और अब अन्‍य बाघ-रिजर्वों में भी इसे विस्‍तारित करने की योजना है ।

46 भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से शिवालिक गांगेय मैदानी भू-परिदृश्‍यों के बाघ रिजर्वों में और उनके आस-पास की स्थिति, सघनता एवं वनावरण में परिवर्तन का आकलन किया गया ।

47 काजीरंगा टाइगर रिजर्व में गैंडों की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के उपाय सुझाने के लिए एक गैंडा कार्य बल सृजित किया गया ।

48 काजीरंगा बाघ रिजर्व में गैंडा सुरक्षा बल के सृजन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया ।

49काजीरंगा बाघ रिजर्व में वन गार्डों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्‍कीम का स‍मर्थन करना ।

50 काजीरंगा बाघ रिजर्व के आस-पास सक्रिय स्‍थानीय भागीदारी के साथ गैंडा संरक्षण के लिए जन सहयोग प्राप्‍त करने के लिए स्‍वैच्छिक समूह 'फ्रैंडस फॉर राइनो' को प्रोत्साहित करना।

51 असम राज्‍य द्वारा सौंपे गए गैंडो के अवैध शिकार के मामलों में सीबीआई जांच की प्रगति का पता लगाना ।

52 केन्‍द्र से काजीरंगा बाघ रिजर्व को जारी की गई निधियों की रियल टाइम मॉनीटरिंग।

53प्राकृतिक आपदा की संभावना वाले बाघ रिजर्वों में चेतावनी प्रणाली विकसित करने की दिशा में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी (एनआरएसए) के साथ सहयोग हेतु पहलें की गई।

54 तराई आर्क भू-दृश्‍य में बाघ स्थिति के आकलन पर नेपाल के साथ एक संयुक्‍त रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

55 बाघ रिजर्वों में ऑन लाईन बाघ/वन्‍यजीव अपराध ट्रेंकिंग/रिपोर्टिंग सिस्‍टम की दिशा में राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्‍यजीव अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो के साथ सहयोग की पहलें की गई ।

------